न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या :– 17/17(223 आरटीए)
आरसीएमएस संख्या :–2017/00053

उनवान

1. राकेश पुत्र जौहरी(मृतक)
   - 1/1. चन्द्रशीला पत्नी स्व0 राकेश
   - 1/2. सोनम पुत्री स्व0 राकेश
   - 1/3. मनीषा पुत्री स्व0 राकेश
   - 1/4. लोकेश पुत्र स्व0 राकेश नाबालिग

   } जाति मिर्धा ठाकुर निवासीगण ग्राम कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर।

   1/5. विष्णु पुत्र स्व0 राकेश नाबालिग
2. मुकेश
3. कलुआ
4. राजवीर

} पुत्रगण जौहरी जातिगण मिर्धा ठाकुर निवासी ग्राम कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. भूरी सिंह पुत्र ख्यालीराम जाति मिर्धा ठाकुर निवासी ग्राम कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बाडी वहैसियत भूमि स्वामी।
3. शाखा प्रबंधक महोदय ए0बी0ए0जी0 बैंक शाखा कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर।

..... रेस्पोंडेंट ।

अपील अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी दिनांक 13.07.2016 प्र.सं 11/15 उनवानी भूरी सिंह बनाम राकेश।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री किरोडीलाल उपस्थित

निर्णय दिनांक–21.05.2024

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय दिनांक 13.07.2016 के विरूद्व पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व प्रतिवादी/अपीलाण्ट प्रस्तुत करते हुये, कथन किया कि विवादित आराजी के पक्षकारान संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः फसल को लेकर आये दिन पक्षकारान में झगडा हो जाता है। अतः विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित नहीं की जाकर सीधे ही अंतिम डिक्री कर दिया। जबकि विभाजन के दावे में पहले प्राथमिक डिक्री पारित किया जाना आवश्यक होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में ना तो कोई साक्ष्य, ना कोई जिरह लिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया। विभाजन प्रस्ताव बनाते समय भी नियम 18–21 की पालना नहीं की गयी। विभाजन प्रस्ताव नायब तहसीलदार द्वारा बनाये गये हैं। जबकि विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार को बनाया जाना आज्ञापक है। निर्णय राजस्व कैम्प में पारित किया है। जबकि पक्षकारान में ना तो कोई सहमति/राजीनामा हुआ एवं ना ही कोई पक्षकार कैम्प में उपस्थित रहे हैं। नियमानुसार राजस्व कैम्प में राजीनामा/सहमति से ही निर्णय पारित किये जा सकते हैं। रैस्पो0 का काउण्टर क्लेम भी था परन्तु उस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिये अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुये, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप सही है। स्थाई लोक अदालत में निर्णय पारित हुआ है। अपीलाण्ट बाबजूद सूचना जानबूझकर कैम्प में उपस्थित नहीं आये एवं विभाजन प्रस्तावो पर भी हस्ताक्षर नहीं किये। तहसीलदार के निर्देश पर नायब तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये हैं एवं नियम 18–21 की पूर्ण पालना की गयी है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में सीधे ही अंतिम डिक्री पारित कर दी गयी है, जबकि विधि अनुसार, जोत विभाजन के प्रकरणों में पहले प्रारम्भिक डिक्री पारित की जानी चाहिए थी। इसके अलावा हमने विभाजन प्रस्तावो का भी अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर नायब तहसीलदार द्वारा बनाये गये हैं। जबकि नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में बनाया जाना आज्ञापक है। विभाजन प्रस्तावो पर केवल रैस्पो0 के हस्ताक्षर हैं। जबकि विभाजन प्रस्ताव सभी पक्षकारो की उपस्थिति में बनाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो को उक्त विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर ना देते हुये, विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने की दिनांक को ही प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित कर दी गयी। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह विभाजन प्रस्तावो पर पक्षकारो को सुनवाई/आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका देते। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना करते हुये राजस्व लोक अदालत की हडबडी में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जिसे किसी भी प्रकार न्याय संगत नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वाडी के निर्णय दिनांक 13.07.2016 निरस्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये एवं तहसीलदार की उपस्थिति में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी से बुरी आराजी के पक्षकारान के मध्य विभाजन के नियम 18—21 की पूर्ण पालना करते हुये, विभाजन प्रस्ताव तैयार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर उभयपक्ष को सुनवाई/आपत्ति का अवसर देते हुये, पुनः विधिअनुसार बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.06.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर